महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग,मेरठ / बागपत / बुलन्दशहर / गाजियाबाद / हापुड़ / गौतमबुद्धनगर / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / शामली / मुरादाबाद / अमरोहा / बिजनौर / रामपुर / सम्भल / आगरा / फिरोजाबाद / मैनपुरी / मथुरा / अलीगढ़ / कासगंज / हाथरस / एटा / बरेली / बदॉयू / शाहजहॉपुर / पीलीभीत / कानपुरनगर / कानपुरदेहात / कन्नौज / इटावा / औरैया / फर्रुखाबाद / लखनऊ / रायबरेली / हरदोई / सीतापुर / उन्नाव / खीरी / फैजाबाद / बाराबंकी / सुल्तानपुर / अम्बेदकरनगर / अमेठी / गोण्डा / बहराइच / श्रावस्ती / बलरामपुर / बस्ती / सिद्वार्थनगर / संतकबीरनगर / गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर / महराजगंज।

पत्रांक 107 /चारा/ 3–डी0–59 /रा0यो/2015–16 दिनॉक 15 मार्च,2016

विषयः– प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिये पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्र संख्या–574/बजट/29(5) अनु0–15/31/2015–1/दिनॉक 29.02.2016 एवं दिशा निर्देश निर्गत पत्र सं0 47/प0–2/चारा/3–डी0–59 रा0यो/2015–16 दिनॉक 03 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या –65/चारा/3–डी0–59/रा0यो/2015–16दिनॉक 08 मार्च, 2016का अवलोकन करें।

इस संबंध में कहना है कि उक्त योजनान्तर्गत आवश्यक सामग्री यथा पॉलीथीन एवं स्प्रिकंलर का कय अनुमोदित दरों पर आप द्वारा की जानी है। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु सैम्पुल निदेशालय से आपके जनपद हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। आपूर्तित सामानों का मिलान कराने के उपरान्त सैम्पुल केन्द्रीय भण्डार में सुरक्षित रखें। विभागीय अधिकारियों की एक समिति गठित कर आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता मानको के अनुरूप सुनिश्चित करायी जाय। यथासंभव महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0 को भी आमंत्रित कर लें।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।